18-2-25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसीलदार मांगरोल से रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार मांगरोल की अनुसार रिपोर्ट एवं तहसीलदार मांडपुरा जिला कोटा की रिपोर्ट अनुसार वादीगणो के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर शिवनारायण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की अनुशंषा की गई। अतः तहसीलदार मांगरोल एवं तहसीलदार मांडपुरा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कराडिया खाता संख्या 53 की जमाबंदी मे वादीगणो के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर शिवनारायण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निर्णय से कम हो। निर्णय आज दिनांक 18-2-2025 को जेरे इजलास सुनाया गया।